OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE
MIRZAPUR

Ref. No. G/113987/O.A.No474/992/2020 Date : 17/02/2020

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:-Compliance of Hon'ble NGT order dated 14.10.2019 in Original Application No. 992/2019 (I.A. No. 649/2019) in the matter of Surendra Singh V/s Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. -Regarding

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Principal Bench Order dated 14.10.2019. Relevant part of the order dated 14.10.2019 passed by Hon'ble NGT is as below :-

".....Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi, Smt. Ruchi Singh are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar Vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surendra Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar lease and directed recovery of compensation for illegal operation.

In view of above, it will be necessary to ascertain from Director of Environment, U.P, District Magistrate, Mirzapur and SPCB as to whether same course of action has been adopted in respect of the present leases. The nodal agency will be the District Magistrate, Mirzapur for coordination and compliance......."

In this context it is to inform that the respondent nos. 5 to 7 mining lease area was inspected by joint committee of District Administration, U.P. Pollution Control Board & Director of Environment, U.P. on dated 24.01.2020. Detail inspection report, Photographs taken during visit & letter dated 11.11.2019 regarding suspension of mining activities & transportation of respondent nos. 5 to 7 are enclosed for your kind information & necessary action. As per enclosed committee report it was observed that on the day of committee visit at all the above mining sites of Proponent neither any mine operation nor any transportation was noticed.

The above compliance report is submitted for your kind consideration please.

Encls: As above.

(Sushil Kumar Patel)
District Magistrate

Report of joint committee in compliance to Hon'ble NGT order dated 14.10.2019 in Original Application No. 992/2019 (I.A. No. 649/2019) the matter of Surendra Singh V/s Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

A joint committee having following representation from Director of Environment, U.P., District Magistrate, Mirzapur & State Pollution Control Board (SPCB), decided to visit the sites of M/s Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi & Smt. Ruchi Singh (Respondent nos. 5 to 7) to seek factual position. The Major issues of concerns highlighted by Hon'ble NGT order dated 14.10.2019 are as follows:

Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi, Smt. Ruchi Singh are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar Vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surendra Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar lease and directed recovery of compensation for illegal operation.

In view of above, it will be necessary to ascertain from Director of Environment, U.P, District Magistrate, Mirzapur and SPCB as to whether same course of action has been adopted in respect of the present leases. The nodal agency will be the District Magistrate, Mirzapur for coordination and compliance.

The following members are nominated for the committee by the concerned departments.

1. Shri Jang Bahadur Yadav, Sub Divisional Magistrate, Chunar, District-Mirzapur.
2. Shri Meraj Uddin , Member, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow.
3. Dr. S.C. Shukla, Assistant Scientific Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra.

As instructed in the order the committee conducted meeting on dated 24.01.2020 & discussed in the length for the compliance of previous Hon'ble NGT order dated 14.08.2019 in O.A No. 474/2019 reviewed the documents presented before the committee by District Mines Officer, Mirzapur. The committee has carried out field visit on dated 24.01.2020 in presence of Shri Manoj Kumar Yadav, Surveyor, Department of Mines, Mirzapur & representative of Proponents to verify the status on the issues raised in Hon'ble NGT order.

The Mines Officer, Khanij Anubhag, Office of District Magistrate, Mirzapur produced files of following Proponent before the committee:-

1. M/s Jai Maa Vaishno Stone Works, Partner Shri Gyanendra Pratap Singh, Arazi No. 428 (Lease Area 1.01 hectare), Village- Dhuriya, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur.

PTO...

2. Smt. Usha Devi W/o Shri Arvind Kumar, Arazi No. 137 (Lease Area 1.13hectare), Village-Kanchanpur, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur.
3. Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Arazi No. 1 (Lease Area 0.809 hectare), Village-Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.
4. Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Arazi No. 1 (Lease Area 1.01 hectare), Village-Ahirupur, Thana-Kotwali Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.
5. Smt. Ruchi Singh W/o Shri Santosh Singh, Arazi No. 1 (Lease Area 1.01 hectare), Village-Ahirupur, Thana-Kotwali Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.

The status of Environmental Clearance (E.C.) of respondent Nos. 5 to 7 as reviewed from office record are as follows:-

S. No	Name of Respondent	Date of issue of Letter of Intent (LOI)	Lease Area (In hectare)	Date of Issue of Environmental Clearance (E.C.)	Name of Authority Issued E.C.
1	M/s Jai Maa Vaishno stone Works, Village Dhuriya, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur.	30.07.2018	1.01 Ha	23.10.2018	District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)
2	Smt. Usha Devi, Village Kanchanpur, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur.	30.07.2018	1.13 Ha	23.10.2018	District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)
3	Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.	30.07.2018	0.809 Ha	23.10.2018	District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)
4	Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.	30.07.2 018	1.01 Ha	23.10.2018	District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)
5	Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.	30.07.2018	1.01 Ha	23.10.2018	District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)

In compliance of Hon'ble NGT order dated 14.10.2019 District Magistrate, Mirzapur has suspended all mining activity and transportation of responded Nos. 5 to 7 till the Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow by following letters :-

1. M/s Jai Maa Vaishno Stone Works, Village Dhuriya, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur. (Arazi No- 428, Lease Area- 1.01 Ha), letter No:1566/Khanij/NGT-Adesh/2019, Dated-11.11.2019
2. Smt. Usha Devi, Village Kanchanpur, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur (Arazi No: 137 Area : 1.13 Ha), letter No: . 1565/Khanij/NGT-Adesh/2019, Dated-11.11.2019
3. Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur (Arazi No- 01 Area- 0.809 Ha), letter No-1562/Khanij/NGT-Adesh/2019, Dated-11.11.2019
4. Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur (Arazi No- 01 Area : 1.01 Ha), letter No-1563/Khanij/NGT-Adesh/2019, Dated-11.11.2019
5. Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali, Chunar, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur (Arazi No- 01 Area : 1.01 Ha) , letter No-1564/Khanij/NGT-Adesh/ /2019, Dated-11.11.2019

PTO...

The copy of letter issued to aforesaid Proponents by District Magistrate, Mirzapur on dated 11.11.2019 is attached at Annexure-1.

On the day of committee visit at all the above mining sites of Proponent neither any mine operation nor any transportation was noticed. The Photographs taken during the visit is attached at Annexure-2.

Recommendations :

1. The Project Proponents should strictly comply the order of District Magistrate, Mirzapur issued on dated 11.11.2019.
2. The Project Proponents should not operate any mining & transportation activities without obtaining Environmental Clearance (E.C) from State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.
3. The Project Proponents should strictly comply the provisions of EIA Gazette Notification No. S.O 1533(E) dated 14.09.2006, as amended.
4. The District Administration, Mirzapur to ensure that mining and transportation activities should not be operate by all Proponents at above sanctioned lease area.

(Dr. S.C. Shukla)
Assistant Scientific Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Sonbhadra

(Meraj Uddin)
Member, SEAC,
Directorate of Environment,
U.P., Lucknow.

(Jang Bahadur Yadav)
Sub Divisional Magistrate
Chunar, Mirzapur

M/s Jai Maa Vaishno Stone Works, Village Dhuriya, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur

Smt. Usha Devi, Village Kanchanpur, Thana-Ahraura, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, Mirzapur

Smt. Ruchi Singh, Village Ahirupur, Thana-Kotwali Chunar,
Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar, Mirzapur.

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 1566/खनिज/NGT–आदेश/2019 दिनांकः 11/11/2019

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/10/2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>आदेश</u>

मे0 जय माँ वैष्णो स्टोन वर्क्स,
पा0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री अखिलेश कुमार सिंह
निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना अहरौरा,
<u>तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।</u>

अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद मीरजापुर के तहसील **चुनार** स्थित ग्राम **धुरिया** के आराज़ी संख्या **428** में रकबा **1.01 हे0** भूक्षेत्र पर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक **28/11/2018** से **27/11/2038** तक स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 992/2019 (आई0ए0 नं0 649/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/10/2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः– "1. Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. **M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works**, Smt. Usha Devi, Smt. Ruchi Singh are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surender Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar leases and directed recovery of compensation for illegal operation"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 474/2019 (आई0ए0 नं0 340/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/08/2019 को आदेश निम्नवत् पारित किये गये हैं:–

"4. In view of above, we dispose of this application with following directions: i). Till environmental clearance is granted by SEIAA, the mining operations with regard to leases in question will remain suspended."

अतएव आपका खनन पट्टा NGT के आदेश दिनांक 14/10/2019 से आच्छादित होने के कारण SEIAA (State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pardesh) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए खनन/परिवहन कार्य रोका जाता है।

11/11/2019
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित के पक्ष में प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के निर्गमन को रोके जाने हेतु।
2– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
4– निदेशक, State level Environment Impact Assesment Authority, Uttar Pardesh लखनऊ।
5– प्रवन्ध निदेश, एम0एस0टी0सी0, हजरतगंज, लखनऊ।
6– उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
7– खान अधिकारी, मीरजापुर।
8– थानाध्यक्ष, अहरौरा, मीरजापुर।

11/11/2019
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 1565/खनिज/NGT–आदेश/2019 दिनांक : 11/11/2019

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/10/2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

आदेश

श्रीमती उषा देवी
पत्नी श्री अरविन्द कुमार
निवासी कोईरान बाजार, अहरौरा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम कंचनपुर के आराजी संख्या **137** में रकबा **1.13** हे0 भूक्षेत्र पर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक **16/11/2018** से **15/11/2038** तक स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 992/2019 (आई0ए0 नं0 649/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/10/2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः– "1. Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, **Smt. Usha Devi**, Smt. Ruchi Singh are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surender Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar leases and directed recovery of compensation for illegal operation"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 474/2019 (आई0ए0 नं0 340/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/08/2019 को आदेश निम्नवत् पारित किये गये हैं:–

"4. In view of above, we dispose of this application with following directions: i). Till environmental clearance is granted by SEIAA, the mining operations with regard to leases in question will remain suspended."

अतएव आपका खनन पट्टा NGT के आदेश दिनांक 14/10/2019 से आच्छादित होने के कारण SEIAA (State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pardesh) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए खनन/परिवहन कार्य रोका जाता है।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित के पक्ष में प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के निर्गमन को रोके जाने हेतु।
2– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
4– निदेशक, State level Environment Impact Assesment Authority, Uttar Pardesh लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेश, एम0एस0टी0सी0, हजरतगंज, लखनऊ।
6– उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
7– खान अधिकारी, मीरजापुर।
8– थानाध्यक्ष, अहरौरा, मीरजापुर।

जिलाधिकारी, 11/11/19
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 1562/खनिज/NGT–आदेश/2019 दिनांक : 11/11/2019

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/10/2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

आदेश

श्रीमती रूचि सिंह
पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह
निवासी ग्राम सरिया,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम अहिरूपुर के आराजी संख्या **01** में रकबा **0.809 हे0** भूक्षेत्र पर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक **20/11/2018** से **19/11/2038** तक स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 992/2019 (आई0ए0 नं0 649/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/10/2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः– "1. Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi, **Smt. Ruchi Singh** are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surender Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar leases and directed recovery of compensation for illegal operation"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 474/2019 (आई0ए0 नं0 340/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/08/2019 को आदेश निम्नवत् पारित किये गये हैः–

"4. In view of above, we dispose of this application with following directions: i). Till environmental clearance is granted by SEIAA, the mining operations with regard to leases in question will remain suspended."

अतएव आपका खनन पट्टा NGT के आदेश दिनांक 14/10/2019 से आच्छादित होने के कारण SEIAA (State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pardesh) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए खनन/परिवहन कार्य रोका जाता है।

11/11/19

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित के पक्ष में प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के निर्गमन को रोके जाने हेतु।
2– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
4– निदेशक, State level Environment Impact Assesment Authority, Uttar Pardesh लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेश, एम0एस0टी0सी0, हजरतगंज, लखनऊ।
6– उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
7– खान अधिकारी, मीरजापुर।
8– थानाध्यक्ष, अहरौरा, मीरजापुर।

11/11/19

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 1563/खनिज/NGT–आदेश/2019 दिनांक : 11/11/2019

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/10/2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

आदेश

श्रीमती रूचि सिंह
पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह
निवासी ग्राम सरिया,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम अहिरूपुर के आराजी संख्या 01 में रकबा **1.01 हे0** भूक्षेत्र पर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक **20/11/2018** से **19/11/2038** तक स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 992/2019 (आई0ए0 नं0 649/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/10/2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:– "1. Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi, Smt. Ruchi Singh are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surender Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar leases and directed recovery of compensation for illegal operation"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 474/2019 (आई0ए0 नं0 340/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/08/2019 को आदेश निम्नवत् पारित किये गये हैं:–

"4. In view of above, we dispose of this application with following directions: i). Till environmental clearance is granted by SEIAA, the mining operations with regard to leases in question will remain suspended."

अतएव आपका खनन पट्टा NGT के आदेश दिनांक 14/10/2019 से आच्छादित होने के कारण SEIAA (State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pardesh) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए खनन/परिवहन कार्य रोका जाता है।

11/11/19
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित के पक्ष में प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के निर्गमन को रोके जाने हेतु।
2– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
4– निदेशक, State level Environment Impact Assesment Authority, Uttar Pardesh लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेश, एम0एस0टी0सी0, हजरतगंज, लखनऊ।
6– उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
7– खान अधिकारी, मीरजापुर।
8– थानाध्यक्ष, अहरौरा, मीरजापुर।

11/11/19
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 1564/खनिज/NGT–आदेश/2019 दिनांक : 11/11/2019

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/10/2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

आदेश

श्रीमती रूचि सिंह
पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह
निवासी ग्राम सरिया,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम अहिरूपुर के आराजी संख्या **01** में रकबा **1.01 हे0** भूक्षेत्र पर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक **20/11/2018** से **19/11/2028** तक स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 992/2019 (आई0ए0 नं0 649/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/10/2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः– "1. Grievance in this application is that Respondent Nos. 5 to 7 i.e. M/s. Jai Maa Vaishno Stone Works, Smt. Usha Devi, **Smt. Ruchi Singh** are operating mining leases which were illegally granted for 20 years in violation of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 and order of this Tribunal dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016 based on the order of the Hon'ble Supreme Court. Procedure for Environmental Clearance was wrongly diluted by exempting public consultation and EMP by wrongly treating the leases to be 'B-2 category' projects. This Tribunal vide order dated 14.08.2019 in O.A. No. 474/2019, Surender Singh vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. noted that the State suspended similar leases and directed recovery of compensation for illegal operation"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (NGT) द्वारा ओ0ए0 नं0 474/2019 (आई0ए0 नं0 340/2019) सुरेन्द्र सिंह बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में दिनांक 14/08/2019 को आदेश निम्नवत् पारित किये गये हैः–

"4. In view of above, we dispose of this application with following directions: i). Till environmental clearance is granted by SEIAA, the mining operations with regard to leases in question will remain suspended."

अतएव आपका खनन पट्टा NGT के आदेश दिनांक 14/10/2019 से आच्छादित होने के कारण SEIAA (State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pardesh) से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उपरोक्त खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए खनन/परिवहन कार्य रोका जाता है।

(हस्ताक्षर) 11/11/19
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित के पक्ष में प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के निर्गमन को रोके जाने हेतु।
2– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर।
4– निदेशक, State level Environment Impact Assesment Authority, Uttar Pardesh लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेश, एम0एस0टी0सी0, हजरतगंज, लखनऊ।
6– उपजिलाधिकारी चुनार, मीरजापुर।
7– खान अधिकारी, मीरजापुर।
8– थानाध्यक्ष, अहरौरा, मीरजापुर।

(हस्ताक्षर) 11/11/19
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(66)

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 848 / खनिज / सैण्ड–स्टोन / ई–निविदा सह ई–नीलामी / 2018 दिनांक 30/07/2018

लेटर आफ इन्टेंट

शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–3236/86–2017–57(सा.)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 12/12/2017 एवं संख्या 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या 163/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी /2018 दिनांक 10/05/2018 द्वारा जनपद मीरजापुर में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को 20 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक 12/06/2018 से 18/06/2018 तक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रित की गयी। ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से प्राप्त E-mail, जिसमें क्रमांक 27 पर अंकित जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम **धुरिया** के आराजी संख्या **428** रकबा **1.01** हे0 हेतु **मे0 जय माँ वैष्णो स्टोन वर्क्स, पा0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अखिलेश कुमार सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** द्वारा रू0 411 प्रति घन मीटर की दर से बोली प्राप्त हुई है। शासनादेश के अनुरूप 20 वर्षीय खनन पट्टा हेतु समिति की संस्तुति दिनांक 25/07/2018 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना 10000 घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रुपया प्रति घन मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक बृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि बृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सैण्ड स्टोन डायमेन्शनल की रायल्टी दर रु0 650/– प्रति घन मी0 प्रभावी मानी जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया में स्वीकृत दर यदि रु0 650/– प्रति घन मी0 से अधिक होती है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी में स्वीकृत दर प्रभावी रहेगी।

अतः **मे0 जय माँ वैष्णो स्टोन वर्क्स, पा0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अखिलेश कुमार सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि MSTC में जमा कर वांछित अभिलेख एवं अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराये जिससे खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. श्री नितिन आनन्द, शाखा प्रबन्धक, MSTC Ltd. लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
6. खान अधिकारी, मीरजापुर।
7. व्यापार कर अधिकारी, मीरजापुर।
8. उप जिलाधिकारी, चुनार, मीरजापुर।
9. मे0 जय माँ वैष्णो स्टोन वर्क्स, पा0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अखिलेश कुमार सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 858/खनिज/सैण्ड–स्टोन/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक30/07/2018

लेटर आफ इन्टेंट

शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–3236/86–2017–57(सा.)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 12/12/2017 एवं संख्या 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या 163/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 10/05/2018 द्वारा जनपद मीरजापुर में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को 20 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक 12/06/2018 से 18/06/2018 तक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रित की गयी। ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से प्राप्त E-mail, जिसमें क्रमांक **54** पर अंकित जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम **कंचनपुर** के आराजी संख्या **137** रकबा **1.13** हे0 हेतु **श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी कोईरान बाजार, अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** द्वारा रू0 707 प्रति घन मीटर की दर से बोली प्राप्त हुई है। शासनादेश के अनुरूप 20 वर्षीय खनन पट्टा हेतु समिति की संस्तुति दिनांक 25/07/2018 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना 10000 घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक बृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि बृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत **दो कार्यदिवसों** के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सैण्ड स्टोन डायमेन्शनल की रायल्टी दर रु0 650/– प्रति घन मी0 प्रभावी मानी जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया में स्वीकृत दर यदि रु0 650/– प्रति घन मी0 से अधिक होती है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी में स्वीकृत दर प्रभावी रहेगी।

अतः **श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी कोईरान बाजार, अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि MSTC में जमा कर वांछित अभिलेख एवं अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराये जिससे खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. श्री नितिन आनन्द, शाखा प्रबन्धक, MSTC Ltd. लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
6. खान अधिकारी, मीरजापुर।
7. व्यापार कर अधिकारी, मीरजापुर।
8. उप जिलाधिकारी, चुनार, मीरजापुर।
9. श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी कोईरान बाजार, अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 455/खनिज/सैण्ड–स्टोन/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 30/07/2018

लेटर आफ इन्टेंट

शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–3236/86–2017–57(सा.)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 12/12/2017 एवं संख्या 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या 163/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 10/05/2018 द्वारा जनपद मीरजापुर में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को 20 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक 12/06/2018 से 18/06/2018 तक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रित की गयी। ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से प्राप्त E-mail, जिससें क्रमांक 46 पर अंकित जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार स्थित ग्राम अहिरूपुर के आराजी संख्या 01 रकबा 0.809 हे0 हेतु श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा रू0 115 प्रति घन मीटर की दर से बोली प्राप्त हुई है। शासनादेश के अनुरूप 20 वर्षीय खनन पट्टा हेतु समिति की संस्तुति दिनांक 25/07/2018 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता हैः–

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना 10000 घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सैण्ड स्टोन डायमेन्शनल की रायल्टी दर रु0 650/– प्रति घन मी0 प्रभावी मानी जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया में स्वीकृत दर यदि रु0 650/– प्रति घन मी0 से अधिक होती है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी में स्वीकृत दर प्रभावी रहेगी।

अतः श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि MSTC में जमा कर वांछित अभिलेख एवं अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराये जिससे खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. श्री नितिन आनन्द, शाखा प्रबन्धक, MSTC Ltd. लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
6. खान अधिकारी, मीरजापुर।
7. व्यापार कर अधिकारी, मीरजापुर।
8. उप जिलाधिकारी, चुनार, मीरजापुर।
9. श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

(60)

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 253/खनिज/सैण्ड–स्टोन/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 30/07/2018

लेटर आफ इन्टेंट

शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–3236/86–2017–57(सा.)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 12/12/2017 एवं संख्या 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या 163/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी /2018 दिनांक 10/05/2018 द्वारा जनपद मीरजापुर में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को 20 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक 12/06/2018 से 18/06/2018 तक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रित की गयी। ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से प्राप्त E-mail, जिसमें क्रमांक **44** पर अंकित जनपद मीरजापुर के तहसील **चुनार** स्थित ग्राम **अहिरूपुर** के आराजी संख्या 01 रकबा **1.01** हे0 हेतु **श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** द्वारा रू0 **115** प्रति घन मीटर की दर से बोली प्राप्त हुई है। शासनादेश के अनुरूप 20 वर्षीय खनन पट्टा हेतु समिति की संस्तुति दिनांक 25/07/2018 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना 10000 घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि बृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत **दो कार्यदिवसों** के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत बृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सैण्ड स्टोन डायमेन्शनल की रायल्टी दर रु0 650/– प्रति घन मी0 प्रभावी मानी जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया में स्वीकृत दर यदि रु0 650/– प्रति घन मी0 से अधिक होती है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी में स्वीकृत दर प्रभावी रहेगी।

अतः **श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार,** जनपद मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि MSTC में जमा कर वांछित अभिलेख एवं अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराये जिससे खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. श्री नितिन आनन्द, शाखा प्रबन्धक, MSTC Ltd. लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
6. खान अधिकारी, मीरजापुर।
7. व्यापार कर अधिकारी, मीरजापुर।
8. उप जिलाधिकारी, चुनार, मीरजापुर।
9. श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

(58)

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 854/खनिज़/सैण्ड–स्टोन/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 30/07/2018

लेटर आफ इन्टेंट

शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–3236/86–2017–57(सा.)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 12/12/2017 एवं संख्या 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 के अनुपालन में विज्ञप्ति संख्या 163/खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2018 दिनांक 10/05/2018 द्वारा जनपद मीरजापुर में ईमारती पत्थर सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को 20 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक 12/06/2018 से 18/06/2018 तक ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रित की गयी। ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त MSTC से प्राप्त E-mail, जिसमें क्रमांक **45** पर अंकित जनपद मीरजापुर के तहसील **चुनार** स्थित ग्राम **अहिरूपुर** के आराजी संख्या 01 रकबा **1.01** हे0 हेतु **श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर** द्वारा रू0 **115** प्रति घन मीटर की दर से बोली प्राप्त हुई है। शासनादेश के अनुरूप 20 वर्षीय खनन पट्टा हेतु समिति की संस्तुति दिनांक 25/07/2018 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना 10000 घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक बृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि बृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे के निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत **दो कार्यदिवसों** के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत बृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) 1012/86–2018–57(सामान्य)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 07/05/2018 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सैण्ड स्टोन डायमेन्शनल की रायल्टी दर रु0 650/– प्रति घन मी0 प्रभावी मानी जायेगी परन्तु इस प्रक्रिया में स्वीकृत दर यदि रु0 650/– प्रति घन मी0 से अधिक होती है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी में स्वीकृत दर प्रभावी रहेगी।

अतः **श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार,** जनपद मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि MSTC में जमा कर वांछित अभिलेख एवं अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराये जिससे खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. श्री नितिन आनन्द, शाखा प्रबन्धक, MSTC Ltd. लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
6. खान अधिकारी, मीरजापुर।
7. व्यापार कर अधिकारी, मीरजापुर।
8. उप जिलाधिकारी, चुनार, मीरजापुर।
9. श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सरिया, थाना अहरौरा, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।